प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/22 दिनांक 01/2/22
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 धाराये :– 7
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये :– 120बी भादस
(3) अधिनियम .... धाराये :–............
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 04 समय 12:00 P.M
(ब) अपराध के घटने का दिन :– **गुरूवार, दिनांक 09.12.2021**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक:– **09.12.2021, समय 11.30 ए0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **लिखित टाईपशुदा**
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से उत्तर में, करीब 150 कि.मी. दूर।**
(ब) पता :– **कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भूविज्ञान विभाग जोधपुर जोन, जोधपुर**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. **परिवादी/सूचनाकर्त्ता**
श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत उम्र 41 वर्ष निवासी बांदनवाडी तहसील आहोर जिला जालोर।
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–**
   1. **श्री मोहनलाल भाटी पुत्र श्री चेलाराम भाटी उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट लालराई, वाया मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली हाल अतिरिक्त निदेशक (खान) खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर–जोन, जोधपुर।**
   2. **श्रीमति राजेश्वरी गहलोत पुत्र श्री सम्पतसिंह सोलंकी उम्र 56 वर्ष निवासी 9बी, देवी सिंह का हत्था, सत्तीमाता के थान के पास, रातानाडा जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर।**
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–............
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ....
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)............
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

महोदय,

हालात इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2021 को वक्त 11.30 ए0एम0 पर परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत उम्र 41 वर्ष निवासी बांदनवाडी तहसील आहोर जिला जालोर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीरसिंह राणावत, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर के समक्ष उपस्थित उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट को पढकर रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के बारे में परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह से तसल्ली से पूछा गया तो परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह ने बताया कि मुझ प्रार्थी के ईशबोरजी महादेव स्टोन नाम की एक फर्म है जिसमें मैं व श्री नरपतसिंह दो भागीदार है। हमारे द्वारा सनपुर ग्राम जिला सिरोही में ग्रेनाईट खान लीज हेतु प्रार्थना पत्र सिरोही खनिज विभाग में पेश किया हुआ था। उक्त खान का समस्त सत्यापन खनिज विभाग सिरोही द्वारा नियमानुसार पूर्ण कर आगामी कार्यवाही खान लीज सेक्शन हेतु एडीएम माईनिंग विभाग जोधपुर को पत्रावली भेजी गई थी। जिस पर मैं दिनांक 17.11.2021 को एडीएम माईनिंग विभाग जोधपुर के कार्यालय में गया तथा श्री मोहन लाल भाटी एडीएम माईनिंग से मिला तथा मेरी फाईल सेक्शन हेतु निवेदन किया तो उन्होनें मुझे बिना खर्चे के खान स्वीकृत नही होने व अपने अधीनस्थ कार्यरत श्रीमति राजेश्वरी मैडम से सम्पर्क करने हेतु कहा तो मैं उसी समय श्रीमति राजेश्वरी मैडम से मिला तो उन्होनें हमारी खान की लीज हेतु एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की। मैं मेरे जायज कार्य के लिए श्री मोहनलाल भाटी एडीएम माईनिंग व श्रीमति राजेश्वरी को रिश्वत नही देना चाहते है। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। मेरा श्री मोहन लाल भाटी एडीएम माईनिंग व श्रीमति राजेश्वरी से आपस में कोई लेन देन बकाया नही है एवं न ही कोई आपसी रंजिश है। उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने यह टाईपशुदा रिपोर्ट अपने किसी विश्वसनीय ईमित्र सेन्टर से टाईप करवाना बताया तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर भी होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने यह भी बताया कि मैं मेरी खान लीज की सेक्शन हेतु चार–पांच बार चक्कर काट चुका हूं। मुझे श्री मोहन लाल भाटी एडीएम माईनिंग व उनकी पीए श्रीमति राजेश्वरी बार–बार कोई कमी का बहाना लेकर चक्कर कटवाते है तथा रिश्वत की मांग करते है।

परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से उसी रोज कानि0 श्री विक्रमसिंह नं0 556 को परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह के साथ रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु खान विभाग जोधपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 09.12.2021 को ही वक्त 07.10 पी0एम0 पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुये श्री विक्रमसिंह कानि0 व परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री विक्रमसिंह कानि0 ने डिजीटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 09.12.2021 को ब्यूरो कार्यालय से परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह के साथ रवाना होकर करीबन 03.00 पीएम पर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान विभाग जोधपुर के पास पहुंचा। जहां परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह ने अपने स्तर पर श्री मोहन लाल भाटी एडीएम माईनिंग व उनकी पीए श्रीमति राजेश्वरी की